उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 490202

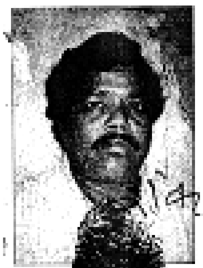

उप कोषाधिकारी

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	–	रु0 6,68,053/–
बाजारु मूल्य	–	रु0 2,51,500/–
अदा किये गये जनरल स्टाम्प	–	रु0 46,900/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – अरैल
3. ग्राम – मवैया उपरहार

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়

দলিল নং [illegible] তারিখ 20.[illegible]

নাম [illegible]

[illegible]

সাব রেজিস্ট্রার
[illegible]

দলিল নং 668053

[illegible]

[illegible]

সাব রেজিস্ট্রার
[illegible]
1-9-2

[illegible]

সাব রেজিস্ট্রার
[illegible]
1-9-8

1-9-9 সাব রেজিস্ট্রার

(भाग 1)

...एकत्रित ... द्वारा लिखा जाने वाला

... क्रम-संख्या A 714563

... पेश करने का दिनांक 17-9-...

... का नाम ...

...

...

... शुल्क

... शुल्क

... या ... मूल्य ... 668053 ...

... के ... शुल्क

... शुल्क

...

...

... का ...

... करने का दिनांक

... प्रतिलिपि ...

...

... के हस्ताक्षर

... 7-5-2004 ... 13--24,000 ...

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 20000

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 490201

16 SEP 2001

4. सम्पत्ति का विवरण — खसरा संख्या 244 रकबा 0.0570 हे0 व 246क रकबा 0.5480 हे0 व खसरा नं0 253 रकबा 0.4110 हे0 कुल योग 1.0160 हे0 का 1/4 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.2540 हे0 स्थित ग्राम–मवैया उपरहार, परगना–अरैल, तहसील–करछना, जिला–इलाहाबाद।
5. मापन की इकाई — हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.2540 हे0
7. सड़क की स्थिति — मिर्जापुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक
8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
9. पेड़ों की स्थिति — नहीं
10. बोरिंग/कुआं अन्य — कुछ भी नहीं है।

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार [illegible], मुजफ्फरनगर

दिनांक [illegible] मूल्य 25000/-

[illegible]

10/9/16

1000 Rs.

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

11 SEP 2006

चौहद्दी खसरा नं0 244

उत्तर	: आराजी नं0 242
दक्षिण	: आराजी नं0 246
पूरब	: आराजी नं0 246
पश्चिम	: आराजी नं0 243

चौहद्दी खसरा नं0 246 क

उत्तर	: आराजी नं0 241 व 247
दक्षिण	: आराजी नं0 259 व 260
पूरब	: आराजी नं0 256 व 257
पश्चिम	: आराजी नं0 241 व 243 व 245

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

[illegible]

दिनांक [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible]

डॉ [illegible]

[illegible]

1000 Rs.

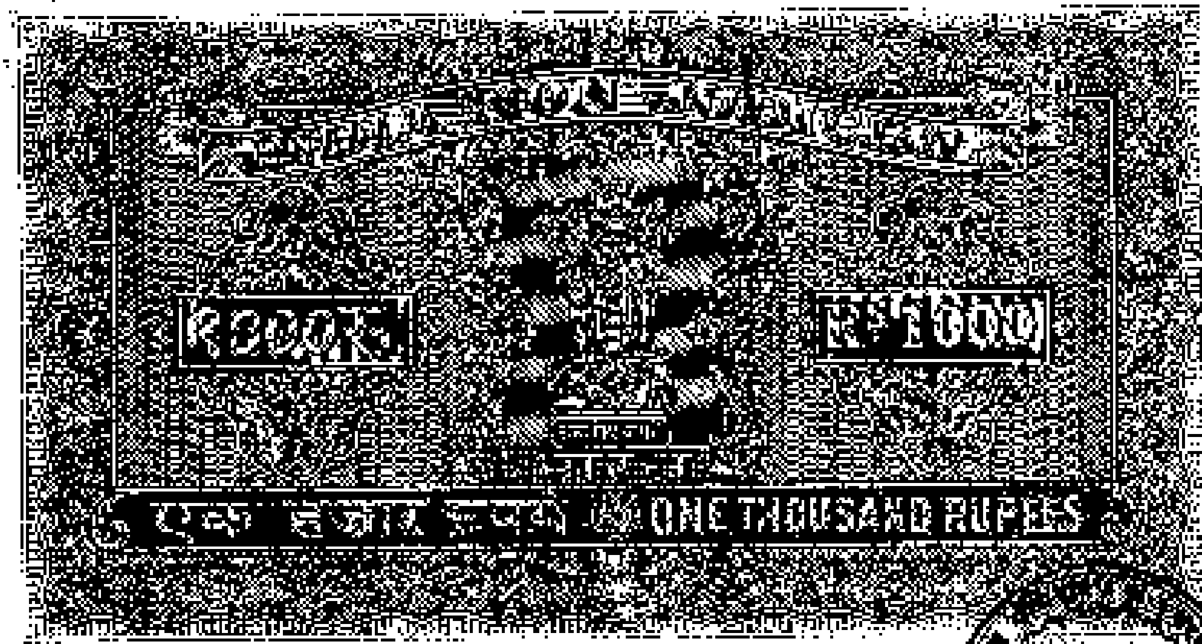

चौहद्दी खसरा नं0 263

उत्तर : आराजी नं0 251 व 252

दक्षिण : आराजी नं0 256 व 274 व 279

पूरब : आराजी नं0 279 व 280

पश्चिम : आराजी नं0 254

प्रथम पक्ष की संख्या –2 : द्वितीय पक्ष की संख्या –1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
शंकर लाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल ग्राम 500/4 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद जिला इलाहाबाद।	:	सत्कार कॉलोनाइजर्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी पता– जयहिन्द काम्प्लेक्स द्वितीय तल लालबाग लखनऊ [illegible], लखनऊ
व्यवसाय–कृषि	:	व्यवसाय– व्यापार/नौकरी

शंकरदास

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार [illegible], [illegible]

दिनांक [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible]

उप कोषाधिकारी

[illegible], [illegible]

1000 Rs.

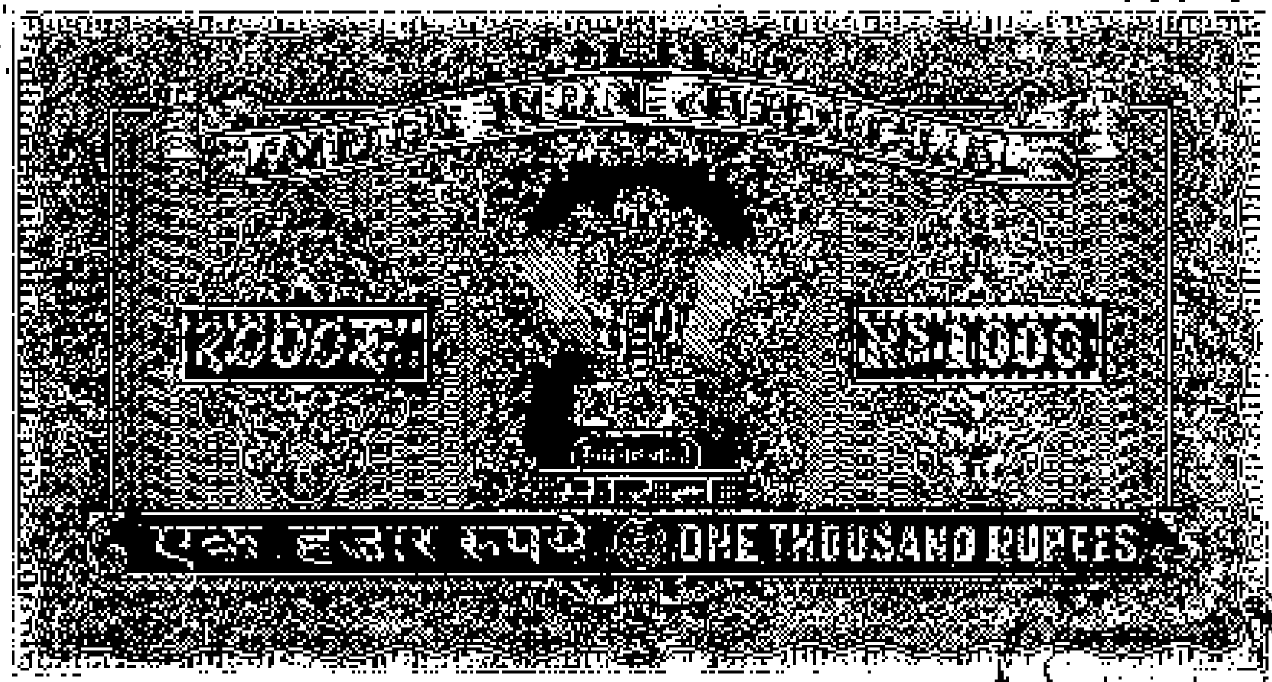

यह विक्रय विलेख शंकर लाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल ग्राम 500/4 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद जिला इलाहाबाद जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है। एवं सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी पता– जयहिन्द काम्प्लेक्स द्वितीय तल लालबाग लखनऊ लखनऊ। जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 244 रकबा 0.0570 हे0 व 246क रकबा 0.5480 हे0 व खसरा नं0 253 रकबा 0.4110 हे0 कुल योग 1.0160 हे0 का 1/4 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.2540 हे0

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

[illegible]

1000Rs.

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-6-

स्थित ग्राम–मवैया उपरहार, परगना–अरैल, तहसील–करछना, जिला–इलाहाबाद का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित खाता–खतौनी क्रम संख्या 00027 के अनुसार भूमि उदयराज व बिजय बहादुर उर्फ गोरे व विजय कुमार उर्फ दरोगा व श्रीमती फूलकली पत्नी स्व0 श्यामसुन्दर उर्फ पुर्रा निवासीगण ग्राम मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज है और विक्रेता ने उपरोक्त उदय बहादुर आदि से उक्त भूमि वर्ष 2004 में जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय किया था जो कि उप रजिस्ट्रार तहसील करछना के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 451 के पृष्ठ 211 से 248 पर क्रमांक 168 दिनांकित 09.01.2004 पर दर्ज है। विक्रेता

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि 16/2/09 क्र०सं० 516

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि [illegible]

स्टाम्प विक्रेता प्रेम चन्द्र गुप्ता

लाइसेन्स नं० 453

लाइ० की अवधि 1-4-07 से 31-3-09

सिविल कोर्ट/तहसील करछना, इलाहाबाद

1000Rs.

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000 Rs. 1000

15 SEP 2004

अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख के द्वारा विक्रय कर रहा है, विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य किसी प्रकार को कोई ऋण नहीं लिया है। यदि ऐसा कोई ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि 14/9/20.. 523

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

विक्रेता का नाम पूरा पता

लाइसेंस नं० 463

लाइसेंस की अवधि 1-4 से 31-3

तहसील परिसर तहसील करछना, इलाहाबाद

1000Rs.

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

14 SEP 2006

के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के विक्रय के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु0 6,68,053/– (छः लाख अरसठ हजार तिरपन रु0 मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेंच दिया

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5/7/2

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पुस्तक

[illegible] क्र. 453

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] प्रदेश

500 Rs.

FIVE HUNDRED RUPEES

11 SEP 2009

है एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखुबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारणएवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन, बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई माँग कर सकेंगें और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या किसी कानूनी अड़चन या कानूनी

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

पत्रांक 77/[illegible] दि० [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible]

[illegible]

उप कोषाधिकारी

करछना, इलाहाबाद

[illegible]

100 Rs.

त्रुटि के कारणक्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता व उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह अधिकार होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा विक्रेता की चल व अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें उस स्थिति में विक्रेता व उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि विकास प्राधिकरण इलाहाबाद तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद उ०प्र० तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

BATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

[illegible]

दिनांक [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] | 1/7/0 6

[illegible]

100 Rs.

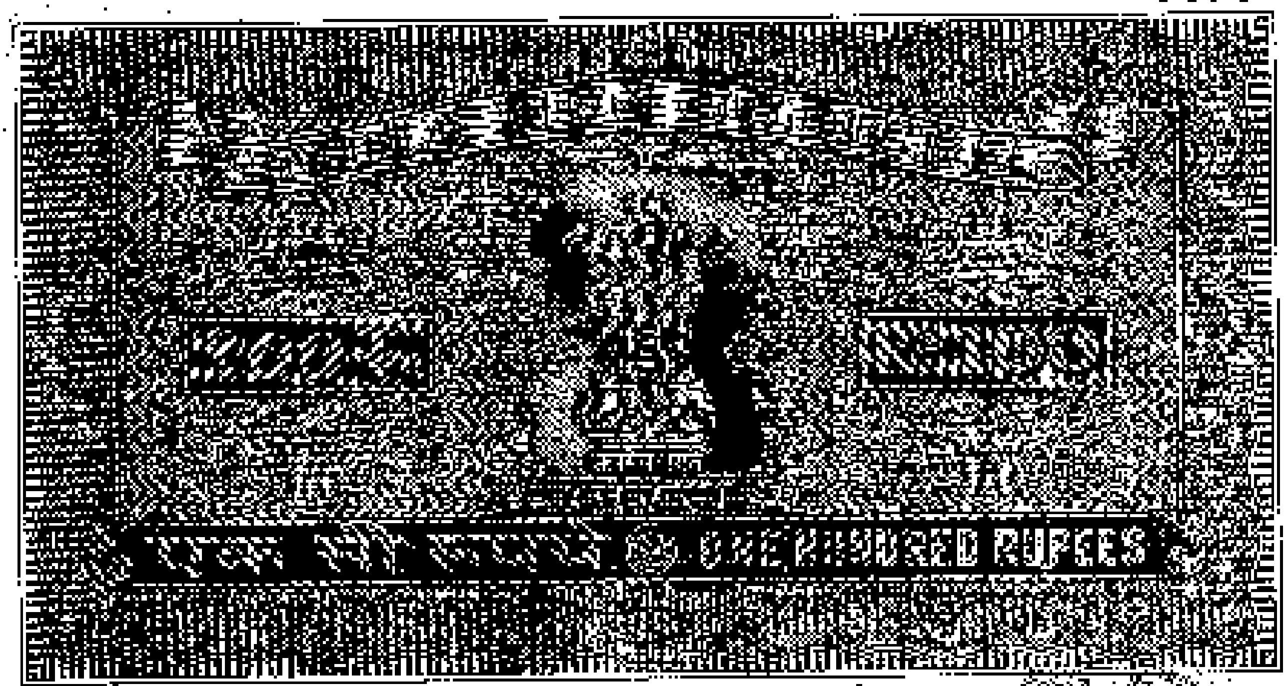

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। यहकि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नं0 ग्राम--मवैया उपरहार, परगना–अरैल, तहसील–करछना, जिला इलाहाबाद के अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसलिए निर्धारित सर्किल रेट 4,00,000 रु0 प्रति एकड़ की दर से विक्रीत भूमि 0.2540 हे0 की मालियत रु0 2,51,500/– होगी।

SAIKAA COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि/क्रमांक [illegible] 373

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

गवाहों की हस्ताक्षर [illegible]

स्टाम्प विक्रेता शरद चन्द्र गुप्ता

लाइसेंस नं० 453

लाइसेंस की अवधि 1-4-[illegible] से 31-[illegible]

कलेक्टर परिसर तहसील सदर, [illegible]

[illegible]

100 Rs.

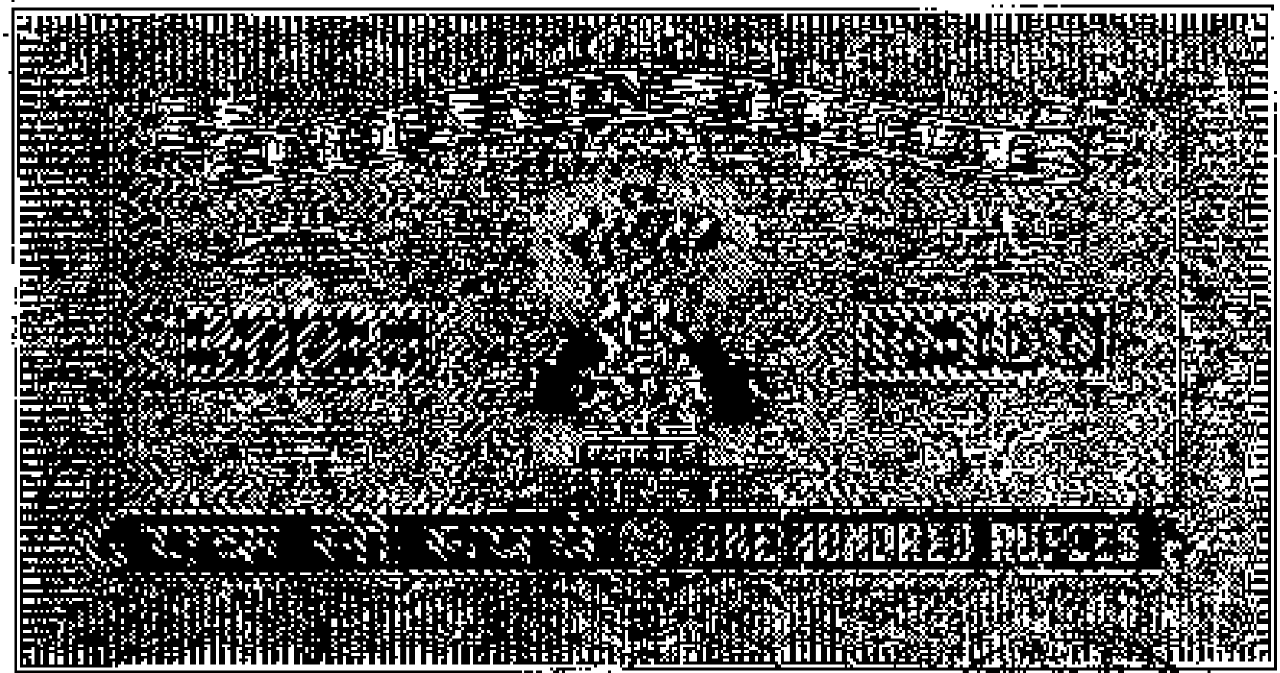

उप कोषाधिकारी
11 SEP 2009

चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की बाजारु मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 46,900/– का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यहकि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि उपयोग के लिए क्रय की जा रही है, भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियाँ नहीं चल रही हैं तथा 200 मीटर के अर्द्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग, व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि मिर्जापुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि [illegible] क्रमांक 512

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

[illegible]

स्टाम्प का मूल्य [illegible]

[illegible] गुप्ता

लाइसेंस नं॰ 453

[illegible] की अवधि 1-4 से 31-3

[illegible]

100Rs.

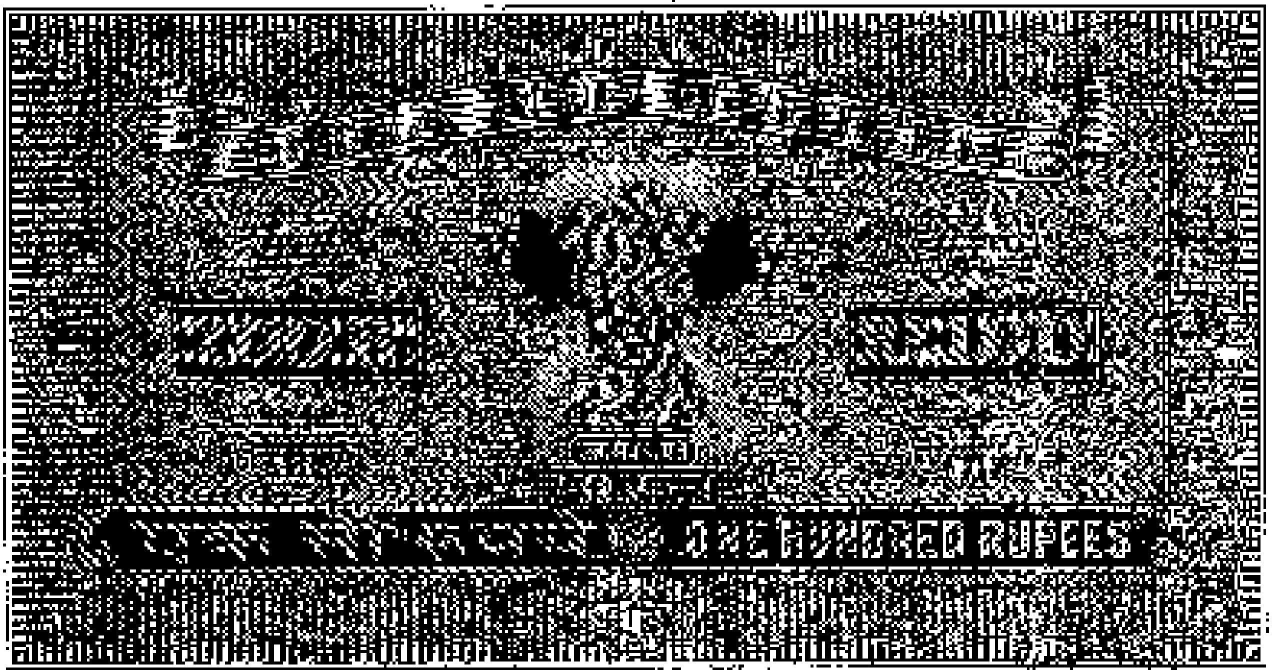

विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जा रहा है। लिहाजा यह विक्रयपत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में स्वस्थ चित्त मन व बगैर किसी जोर दबाव के राजी व खुशी से क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि 11/2/80 क्र० सं० 574

स्टाम्प क्रय करने का नाम [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 100/-

स्टाम्प विक्रेता [illegible]

लाइसेंस सं० 453

[illegible]

तहसील परिसर तहसील [illegible]

परिशिष्ट भुगतान

विक्रेता को रू0 6,88,053/- द्वारा चेक संख्या-018468 दिनांकित 19.11.2008 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नैनी इलाहाबाद क्रेता को प्रदान किया गया है। जिसकी प्राप्ति को विक्रेता स्वीकार करता है। विक्रेता को क्रेता से कोई भी धनराशि लेना शेष नहीं है।

दिनांक - 19/09/08

गवाह

1. S. R. Srivastava
S/o Sri V. D. Srivastava
Chandan Bihar
ALLAHABAD

विक्रेता

क्रेता

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED.
Authorised Signatory

ओम प्रकाश तिवारी

2.

टाइपकर्ता
(करुणाकर सिंह)

मसविदाकर्ता
(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)
(एडवोकेट)

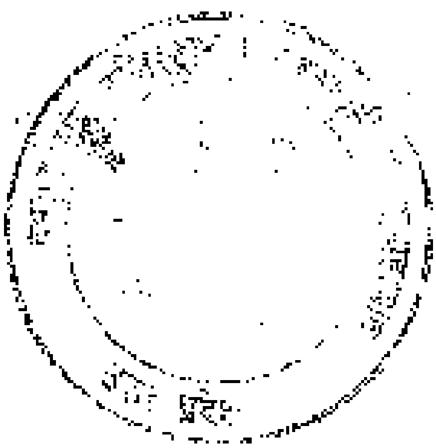

प्रारुप अंगुठा निशानी

नाम [illegible]

पता [illegible]

बांए हाथ के अंगूलियों के निशान

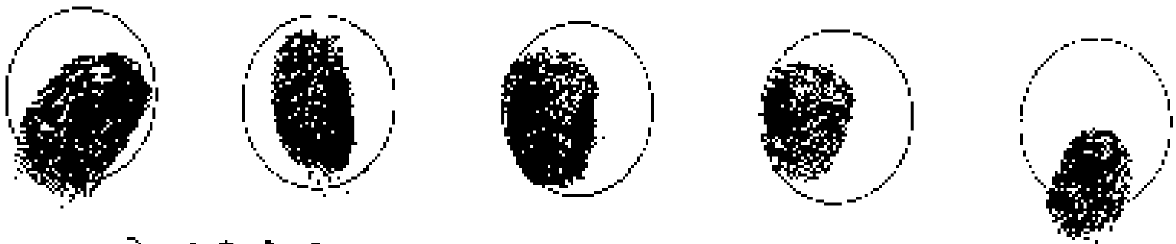

दांए हाथ के अंगूलियों के निशान

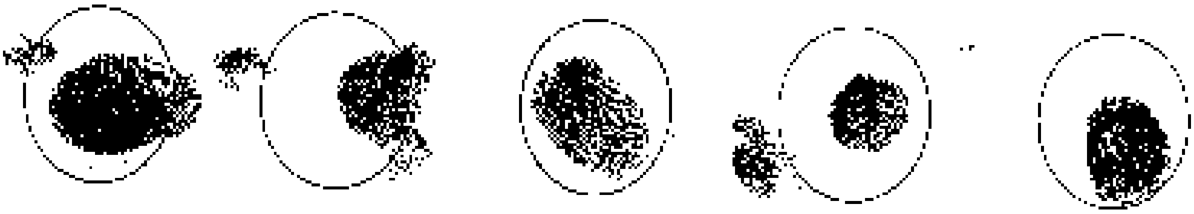

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

नाम [illegible]

पता [illegible]

बांए हाथ के अंगूलियों के निशान

दांए हाथ के अंगूलियों के निशान

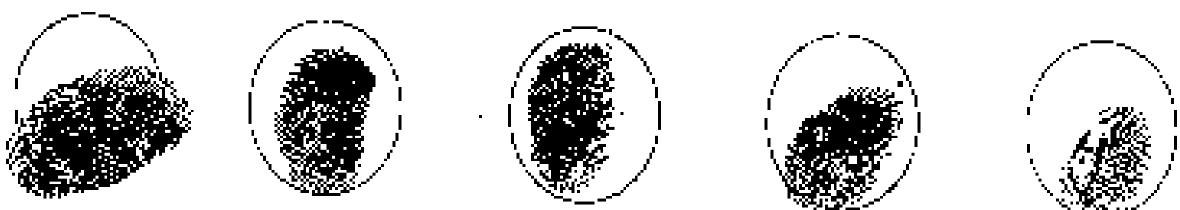

COLONIZERS PRIVATE

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

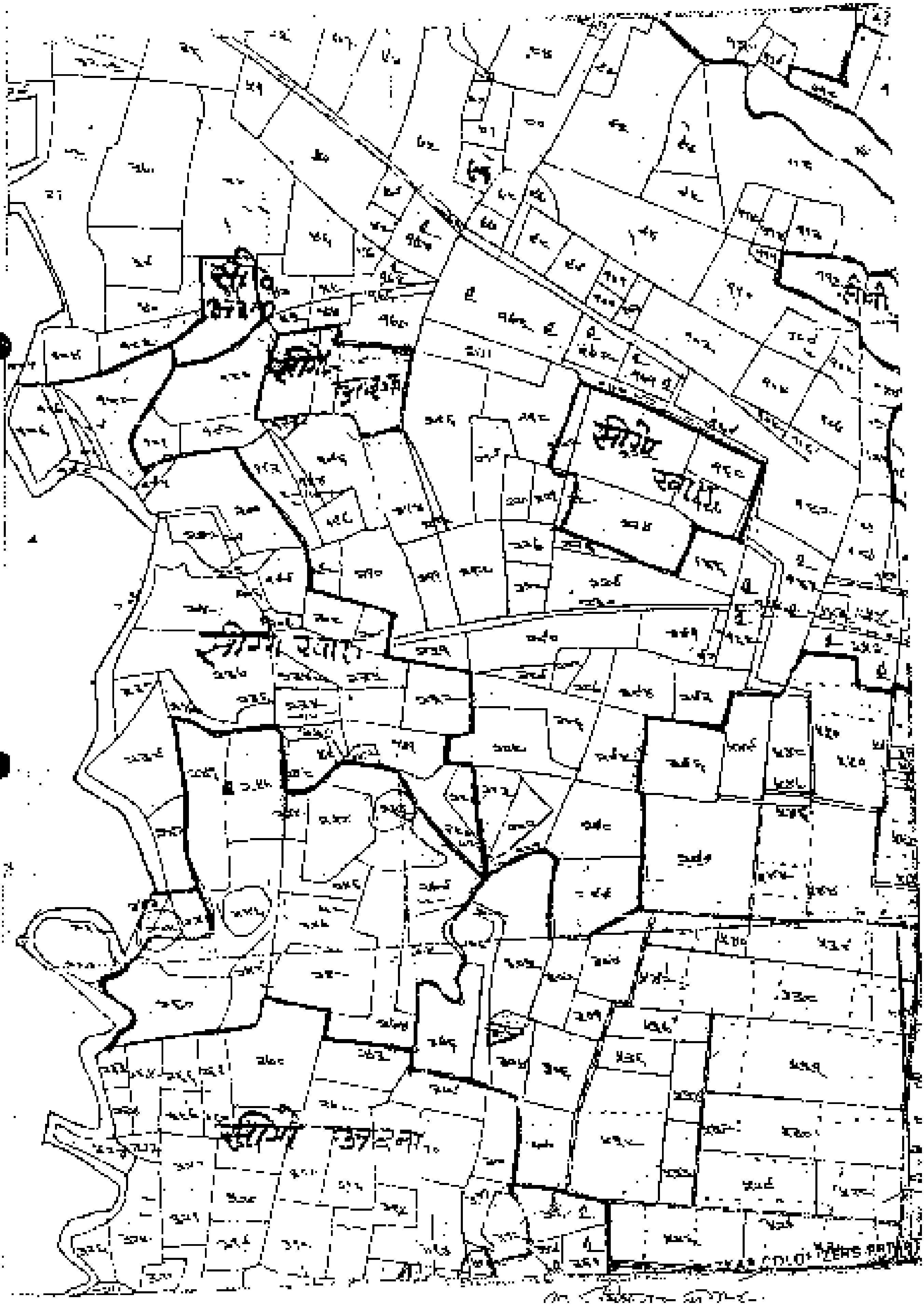

आज दिनांक 17/9/08 [illegible]

प्रति पुस्तक संख्या 2 [illegible] 1520 [illegible]

पृष्ठ 79/118 [illegible] 4120 [illegible]

रजिस्ट्रीकृत किया गया

उप निबंधक

[illegible]

ता0 26 16/08

उत्तर प्रदेश

न्यायालय तहसीलदार करछना इलाहाबाद

वाद संख्या 2307 वर्ष—2007—08 धारा —34एल0 आर0 एक्ट।

मौजा नरैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद

सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा0 लि0 बनाम शंकरदास जायसवाल

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण वाद लेखपाल की रिपोर्ट जरिए बैनामा दिनांक 19/09/08 के आधार पर वाद दर्ज होकर इश्तहार जारी किया गया जो वाद तामील शामिल पत्रावली है किसी कि ओर से कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गयी है जिससे विदित होता है कि भूमि सीलिंग नजूल तथा पट्टे की जमीन नहीं है विक्रेता व क्रेता दोनों अनु0 जाति का घोषित नहीं है। मौके पर क्रेता का कब्जा व दखल है। वर्णित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं हल्का लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरण रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होता है

अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा नरैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद खाता संख्या 00027 गाटा संख्या 244 रकबा 0.0530 है0 गाटा संख्या 245 रकबा 0.?10 है0 गाटा संख्या 253 रकबा 0.4110 है0 कुल रकबा 1.0160 है0 का 1/2 भाग रकबा 0.5080 है0 लगान 60?? से विक्रेता शंकरदास जायसवाल पुत्र गिरीजी लाल निवासी 500/4 चक रघुनाथ नैनी जिला इलाहाबाद का नाम निरस्त करके उसके स्थान पर सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिव प्रसाद तिवारी पता द्वितीय तल [illegible] का नाम जरिए बैनामा दिनांक 19/09/08 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। परवाना जारी हो बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष कुमार मिश्र)
तहसीलदार करछना
इलाहाबाद

लि०भू० पत्र सं. 4007 दिनांक : 19.09.08

मैंने भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद की आख्या का पुनः परीक्षण किया, बैनामा पूर्णतः विधि अनुरूप है ।

(एस.के. सोलंकी)
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
आर.ई.पी.एल. नोएडा
गौतमबुद्धनगर

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नोएडा की आख्या का एवं आख्या के साथ संलग्न मूल विक्रय पत्र का विधि संगत अवलोकन/परीक्षण किया गया । मैं भूमि अधिग्रहण अधिकारीगण की आख्या से सहमत हूँ । बैनामा विधिक प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया गया है ।

(एनेन्द्र तिवारी)
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर
आर.ई.पी.एल. नोएडा
गौतमबुद्धनगर

महोदय,

विक्रय पत्र संख्या 4007 दि0 19.09.08

मैंने ग्राम गढ़ैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के विक्रय पत्र सं0 4007 दि0 19.09.08 में वर्णित भूमि सं0 253 क्षे0 0.4110, 244 क्षे0 0.0570, 248क क्षे0 0.5480, कुल क्षे0 1.0160 का 1/4 भाग अर्थात 0.2540 हे0 की जांच उपलब्ध राजस्व अभिलेख से करके एक विस्तृत जांच आख्या तैयार किया गया है जो निम्नवत है:

1.	विक्रेता का नाम	शंकरलाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल नि0 500/4 चक रघुनाथ नैनी।
2.	क्रेता का नाम	सत्कार कॉलोनाइजर प्रा0लि0 अधि0हस्ता0 अरविन्द तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी, जयहिन्द काम्पलेक्स, द्वितीय तल आलमबाग, लखनऊ।
3.	विक्रेता एवं क्रेता की जाति	विक्रय पत्र के अनुसार दोनों सामान्य जाति के।
4.	भूमि की प्रकृति	कृषिक
5.	30 वर्ष तक के उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि की स्थिति	सी0एच0आर0पी0 45 खतौनी चकबन्दी के खाता सं0 68 में विक्रित भूमि विन्देश्वरी, शिवमूरत, परसोत्तम, मिश्रीलाल पुत्रगण बिहारी के नाम दर्ज है। सन् 1386–1391 फ0 के खाता सं0 89 में सम्बन्धित भूमि पर उपरोक्तानुसार नाम दर्ज है। सन् 1392–1396 फ0 के खतौनी के खाता सं0 95 में सम्बन्धित भूमि पर विन्देश्वरी, परसोत्तम, मिश्रीलाल पुत्रगण बिहारी चतुर्भुज, बृजलाल पुत्रगण शिवमूरत के नाम दर्ज है सन् 1397–1402 फ0 की खतौनी के क्रमशः खाता सं0 15 में कामता प्रसाद, कृष्णमोहन, प्रमोद कुमार पुत्रगण विन्देश्वरी, मिश्रीलाल पुत्र बिहारी व अशर्फी लाल पुत्र परसोत्तम व गिरजाशंकर पुत्र रतनलाल व चतुर्भुज, बृजलाल पुत्रगण शिवमूरत के नाम दर्ज है इसी प्रकार सन् 1403–1405 फ0 के खतौनी के खाता सं0 28 में सम्बन्धित भूमि पर उपरोक्तानुसार नाम दर्ज है। किन्तु खाता सं0 28 में अंकित आदेश के अनुसार गाटा सं0 244 क्षे0 0.5–0 (0.0570हे0) से विन्देश्वरी पुत्र बिहारी का 1/4 अंश नगरीय सीलिंग में दर्ज होने का आदेश दर्ज है। सन् 1409–1414 फ0 के खतौनी के खाता सं0 27 में सम्बन्धित भूमि पर उदयराज, गोरे, दरोगा पुत्रगण मिश्रीलाल व फूलकली पत्नी पूरी व अशर्फीलाल पुत्र परसोत्तम व गिरजाशंकर पुत्र रतनलाल व चतुर्भुज पुत्र शिवमूरत व शंकरलाल जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल जयसवाल नि0 500/4 चकरघुनाथ नैनी के नाम दर्ज है। सन् 1415–1420 फ0 के खतौनी के खाता सं0 27 में सम्बन्धित भूमि क्यूटीफुल लैंडवेज प्रा0लि0 व उदयराज, गोरे, दरोगा पुत्रगण मिश्रीलाल व फूलकली पत्नी पूरी व शंकरलाल जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल जयसवाल के नाम दर्ज है: इसमें चतुर्भुज पुत्र शिवमूरत का भी नाम होना चाहिये उनका नाम अंकित नहीं है। बैनामा के आधार पर विक्रेता का नाम निरस्त होकर क्रेता सत्कार कॉलोनाइजर प्रा0लि0 अधि0हस्ता0 अरविन्द तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी, जयहिन्द काम्पलेक्स, द्वितीय तल आलमबाग, लखनऊ का नाम दर्ज हो चुका है।

6.	हस्तान्तरण योग्य है/नही	हस्तान्तरणीय (ट्रांसफरेबल) है।
7.	भारमुक्त प्रमाण पत्र (एनईसी) के अनुसार भूमि की स्थिति	भारमुक्त है।
8.	सीलिंग/ग्राम समाज में होने की स्थिति	सीलिंग में दर्ज नही है।
9.	नामांतरण हो गया है या नहीं	नामांतरण नही हुआ है
10.	अभियुक्ति	विक्रित भूमि में मूलरूप से चार खातेदार बिन्देश्वरी, शिवमूरत, परशोत्तम, गिरीशलाल पुत्रगण बिहारी का नाम दर्ज है बिन्देश्वर व शिवमूरत मृतक हो चुके है। बिन्देश्वरी के वारिस कामता, बृजमोहन, प्रभात कुमार पुत्रगण बिन्देश्वरी तथा शिवमूरत मृतक के वारिस बृजलाल पुत्र शिवमूरत का नाम दर्ज है। शंकरलाल पुत्र चिरौंजी लाल ने बिन्देश्वरी, शिवमूरत के वारिसों द्वारा उपरोक्त भूमि का बैनामा कराया है, जिसमें विक्रेतागण का कुल मिलाकर 1/2 अंश है और इसी 1/2 अंश का विक्रय शंकर लाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल जयसवाल ने विक्रय पत्र सं0 4006 के द्वारा 1/2 अंश अर्थात 0.5060 हे0 का विक्रय एल्डिको कालोनाईजर के नाम कर दिया है। जिसका नामांतरण वाद सं0 2307 दि0 26.10.08 के द्वारा हो चुका है। इस विक्रय पत्र में अंकित भूमि का बैनामा गिरीशलाल पुत्र बिहारी मृतक के वारिस रूपचन्द, दिनेशबहादुर, विजय कुमार पुत्रगण गिरीशलाल व श्रीमती कुन्तकली पत्नी श्यामसुन्दर के द्वारा शंकरलाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल जयसवाल ने 1/4 अंश का बैनामा कराया था और उसी बैनामे के आधार पर सत्कार कोलोनाईजर प्रा0लि0 का किया है। इस प्रकार जांच में भूमि सही पायी गयी कोई त्रुटि नही है

आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(एस0 एन0 मिश्रा)
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
आर0ई0नि0एल0 इलाहाबाद